[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 40/2020 सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. ... (अ). जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित “फ्लूओरोइलास्टोमर्स (एफ के एम)” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 3904 50 90, 3904 69 10, 3904 69 90 और 3904 90 90 के अंतर्गत आता है, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 6/2019-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 28 जनवरी, 2019, जिसे सा.का.नि. 52(अ), दिनांक 28 जनवरी, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के अंतर्गत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने प्रारंभिकरण अधिसूचना संख्या 7/3/2020-डीजीटीआर, दिनांक 7 फरवरी, 2020, जिसे दिनांक 7 फरवरी, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है;

और जहाँ कि केंद्र सरकार ने विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहाँ से निर्यातित विषयगत वस्तु पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की अवधि को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 19/2020-सीमा शुल्क(एडीडी) दिनांक 21 जुलाई, 2020, जिसे सा.का.नि. 459(अ), दिनांक 21 जुलाई, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत 27 अक्तूबर, 2020 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, बढ़ा दिया था;

और जहाँ कि केंद्र सरकार ने विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहाँ से निर्यातित विषयगत वस्तु पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की अवधि को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 33/2020-सीमा शुल्क(एडीडी) दिनांक 27 अक्तूबर, 2020, जिसे सा.का.नि. 672(अ), दिनांक 27 अक्तूबर, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत 27 नवम्बर, 2020 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, और बढ़ा दिया था;

और जहाँ कि, विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहाँ से निर्यातित विषयगत माल के आयात पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-1 में दिनांक 19 अक्तूबर 2020 को प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्ष संख्या 7/3/2019-डीजीटीआर के अंतर्गत निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि-

i. विषयगत देश से विषयगत माल का निरंतर पाटन हुआ है और शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में आयात के पाटित कीमतों पर भारतीय बाज़ार में प्रवेश करने कि संभावना है;
ii. प्रतिपाटन शुल्क होने के बावजूद घरेलू उद्योग को निंरतर क्षति पहुंची है;
iii. रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी प्रतिपाटन शुल्क को हटाए जाने की दशा में पाटन और क्षति के जारी रहने की संभावना को दर्शाती है;
iv. यह दर्शाने के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि इस समय प्रतिपाटन शुल्क को हटाने से पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहेगा,

और विषयगत देश में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित विषयगत माल पर प्रतिपाटन शुल्क को लगाए जाने की सिफारिश की है।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों के आधार पर, एतद्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट उत्पादकों द्वारा उत्पादित है तथा भारत में आयातित है, पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से , कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप की इकाई और कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट मुद्रा के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:-

क्रम. सं. (1)	टैरिफ मद (2)	माल का विवरण (3)	मूलत: उत्पादन का देश (4)	निर्यातक देश (5)	उत्पादक (6)	शुल्क राशि (7)	इकाई (8)	मुद्रा (9)
1	39045090, 39046910, 39046990, 39049090	फ्लोरोएलेस्टोमर्स (एफकेएम) * अधोलिखित टिप्पणी	चीन जनगणराज्य	कोई भी देश चीन जनगणराज्य सहित	मैसर्स चेंगुआंग फ्लोरो एंड सिलिकॉन इलेस्टोमर्स	3.85	कि.ग्रा	अमेरिकी डॉलर

					को. लि.			
2.	39045090, 39046910, 39046990, 39049090	फ्लोरोएलेस्टोमर्स (एफकेएम) * अधोलिखित टिप्पणी	चीन जनगणराज्य	कोई भी देश चीन जनगणराज्य सहित	मैसर्स झोंगहाओ चेंगुआंग रिर्सच इंस्टीटयूट ऑफ केमिकल.को.लि.	1.30	कि.ग्रा	अमेरिकी डॉलर
3.	39045090, 39046910, 39046990, 39049090	फ्लोरोएलेस्टोमर्स (एफकेएम) * अधोलिखित टिप्पणी	चीन जनगणराज्य	कोई भी देश चीन जनगणराज्य सहित	मैसर्स डैकेन फ्लोरोकेमिकल्स (चीन) को. लि. मैसर्स यूनी ऐलिआन्स लि. होंग कांग	1.04	कि.ग्रा	अमेरिकी डॉलर
4	39045090, 39046910, 39046990, 39049090	फ्लोरोएलेस्टोमर्स (एफकेएम) * अधोलिखित टिप्पणी	चीन जनगणराज्य	कोई भी देश चीन जनगणराज्य सहित	इनर मंगोलिया 3 एफ वानहाओं फ्लोरोकैमिकल को.लि.	6.84	कि.ग्रा	अमेरिकी डॉलर
5	39045090, 39046910, 39046990, 39049090	फ्लोरोएलेस्टोमर्स (एफकेएम) * अधोलिखित टिप्पणी	चीन जनगणराज्य	कोई भी देश चीन जनगणराज्य सहित	क्रम सं. 1 से 4 में दिए गए से भिन्न कोई भी	8.86	कि.ग्रा	अमेरिकी डॉलर
6	39045090, 39046910, 39046990, 39049090	फ्लोरोएलेस्टोमर्स (एफकेएम) * अधोलिखित टिप्पणी	चीन जनगणराज्य से भिन्न कोई भी देश	चीन जनगणराज्य	कोई भी	8.86	कि.ग्रा	अमेरिकी डॉलर

*विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र फ्लोरोएलेस्टोमर्स है जिसमें कोपॉलिमर फ्लोरोएलेस्टोमर्स, टेरपॉलिमर फ्लोरोएलेस्टोमर्स, कोपॉलिमर रॉ गम, कोपॉलिमर प्रीकम्पाउंड, टेरपॉलिमर बाइसफेनाल क्यूरेबल रॉ गम, टेरपॉलिमर परोक्साइड क्यूरेबल रॉ गम और टेरपॉलिमर बाइसफेनाल क्यूरेबल प्रीकम्पाउंड शामिल हैं:

बशर्ते कि विषयगत माल से एफकेएम यौगिक तथा परफ्लोरोएलेस्टोमर्स (एफएफकेएम) को अलग रखा गया है

2. इस अधिसूचना द्वारा लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसमें संशोधन नहीं होता है या इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा |

स्पष्टीकरण.- इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी।

[फाइल संख्या 354/10/2019- टीआरयू]

(गौरव सिंह)
उप सचिव भारत सरकार